

उत्तर मध्य रेलवे के साधारण एवं सहायक नियम की संशोधन पर्ची संख्या-59 दिनांक-

25.07.2019 का राजभाषा में अनुवाद |

(संदर्भ: मुख्य संरक्षा अधिकारी/उमरे का पत्र सं.-उ.म.रे./संरक्षा/विविध दुर्घटना/94 दिनांक-14.02.2019)

01. वर्तमान स.नि. 2.11/1 और स.नि. 2.11/3 को हटाया जाता है |
02. वर्तमान स.नि. 2.11/2, 2.11/4 और स.नि. 2.11/5 को क्रमशः स.नि. 2.11/1, 2.11/2 और स.नि. 2.11/3 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाता है |
03. वर्तमान स.नि. 6.07/1 को स.नि. 6.07/5 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाता है |
04. वर्तमान स.नि. 6.07/2, 6.07/3 और स.नि. 6.07/4 को रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार क्रमशः स.नि. 6.07/1, 6.07/2 और स.नि. 6.07/3 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाता है |  
(संदर्भ: निदेशक/संरक्षा/रेलवे बोर्ड का पत्र सं.-2007/संरक्षा (एण्डआर)/19/13 दिनांक-20.12.2017)
05. नया स.नि. 6.07/4 को निम्नानुसार जोड़ा जाता है -  
(संदर्भ: इलाहाबाद मंडल का जेपीओ (सं.-टी/एस संरक्षा/परिचालन/01/12, दिनांक-07.02.2012)

यदि लोको पायलट/गार्ड, उस ट्रैक में जिससे होकर उनकी गाड़ी गुजरी है, किसी असामान्य स्थिति का अनुभव करते हैं और वह यह समझते हैं कि ट्रैक का वह भाग, जिससे होकर उनकी गाड़ी गुजरी है, बाद में आने वाली गाड़ी के संरक्षित संचालन के लिए सही नहीं है तब वह ऑटोमैटिक सिगनलिंग क्षेत्र और सेमी ऑटोमैटिक क्षेत्र (कोहरे के दौरान मॉडिफाइड सिगनलिंग पद्धति) के मिड सेक्शन में स.नि. 6.07/1, 6.07/2 और स.नि. 6.07/3 के अतिरिक्त निम्नानुसार कार्रवाई करेंगे |

- (i) जर्क या लर्च महसूस करने और रेल फ्रैक्चर का संदेह होने अथवा रेलपथ में किसी अन्य प्रकार की खराबी का अनुभव करने पर यदि वह यह समझते हैं कि बाद में आने वाली गाड़ी के संरक्षित संचालन के लिए सुरक्षित नहीं है, तो वह अपनी गाड़ी को तुरंत रोक देंगे ताकि उसके पीछे आने वाली गाड़ी जो सेक्शन में पहले से हो सकती है, उसके लिए ऑटोमैटिक सिगनल 'ऑफ' न हो सके |
- (ii) इसके बाद गाड़ी का लोको पायलट और गार्ड वॉकी-टॉकी सेट द्वारा अथवा उनके पास उपलब्ध किसी अन्य संचार साधन (सीयूजी/एमटीआरसी फोन) के माध्यम से जर्क अथवा लर्च महसूस करने तथा उसके लोकेशन (किलोमीटर नम्बर के साथ) के बारे में ब्लाक सेक्शन के दोनों सिरों के स्टेशन मास्टरों को सूचना देंगे और खराब ट्रैक के उस भाग से होकर गुजरने वाली पीछे आ रही गाड़ियों को रोकने के लिए कहेंगे |
- (iii) वे सीयूजी/एमटीआरसी फोन द्वारा संबंधित टीएलसी/पावर कंट्रोलर को भी खराबी के स्थान की सूचना तुरंत देंगे |
- (iv) टीएलसी/पावर कंट्रोलर इस मामले के बारे में संबंधित सेक्शन कंट्रोलर को तुरंत अवगत कराएंगे |
- (v) सेक्शन कंट्रोलर पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्रभावित खण्ड में गाड़ी संचालन को तुरंत रोकने की सूचना देगा और रेलपथ में खराबी की सूचना जिस गाड़ी द्वारा प्राप्त हुई उसके बाद की जो गाड़ियां ब्लाक सेक्शन में पहले ही प्रवेश कर चुकी हैं, उन सभी गाड़ियों के लोको पायलटों को अगली सूचना मिलने तक तुरंत रुकने के लिए निर्देश देने हेतु टीएलसी/पावर कंट्रोलर को भी तुरंत सूचना देगा |





- (vi) प्रभावित ब्लाक सेक्शन में सभी गाड़ियों को रोक दिए जाने की पुष्टि कर लेने के बाद सेक्शन कंट्रोलर प्राइवेट नंबर के साथ टीएलसी/पावर कंट्रोलर के माध्यम से जिस गाड़ी के कर्मिंदल ने खराबी की सूचना दी थी, उस गाड़ी के कर्मिंदल को यदि वह ट्रैक के खराब भाग को पार करने के बाद रुका हो, तो उसे प्रस्थान करने के लिए कहेगा।
- (vii) खराबी की सूचना प्राप्त होने के बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल, समीप के सक्षम इंजीनियरिंग अधिकारी/पर्यवेक्षक को इंजीनियरिंग कर्मचारियों सहित यदि आवश्यक हो, पहली उपलब्ध गाड़ी/ सड़क मार्ग द्वारा, जो भी साधन तत्काल उपलब्ध हो, उसके द्वारा खराबी वाले स्थान पर भेजने की तुरंत समुचित व्यवस्था करेगा। यदि आवश्यक हो, तो इंजीनियरिंग कर्मचारियों को विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी से भी प्रभावित स्थल पर भेजा जा सकता है।
- (viii) ऑटोमैटिक सेक्शनों के मामले में इंजीनियरिंग कर्मचारियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, टीएलसी/पावर कंट्रोलर सेक्शन में रुकी हुई पहली गाड़ी के लोको पायलट को सावधानीपूर्वक धीमी गति से गाड़ी आगे ले जाने और सात ओएचई खंभों अथवा प्रभावित किलोमीटर से 500 मीटर पहले पूरी तरह से रुकने और संबंधित ट्रैक की स्थिति के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात 10 कि.मी. प्रति घंटा की गति से संबंधित ट्रैक से गाड़ी को पास करने का निर्देश देगा। टीएलसी/पावर कंट्रोलर उसे यह भी निर्देश देगा कि यदि वह यह समझता है कि ट्रैक, गाड़ी गुजारने के लिए असुरक्षित है तो वह तुरंत रुके और सर्वसंबंधितों को इसकी सूचना दे।
- यदि लोको पायलट को किसी खराबी का पता नहीं लगता है, तो बाद में आने वाली गाड़ियों को धीमी गति से आगे बढ़ने और प्रभावित किलोमीटर से पहले एकदम रुकने के बाद 10 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से तब तक भेजा जाएगा जब तक कि इंजीनियरिंग पदाधिकारी द्वारा ट्रैक का सुरक्षित होना प्रमाणित नहीं कर दिया जाता।
- (ix) सक्षम इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक/अधिकारी द्वारा स्थल पर प्रभावित ट्रैक का परीक्षण करने के बाद यदि गाड़ी को ट्रैक के उस प्रभावित हिस्से से सुरक्षित न गुजारा जा सकता हो, तो वह ट्रैक की खराबी को दूर करने की व्यवस्था करेगा अथवा उस प्रभावित हिस्से से होकर गाड़ी को गुजारने के लिए लोको पायलट को संरक्षित गति प्रमाण-पत्र जारी करेगा/गति प्रतिबंध लगाएगा और तदनुसार सर्वसंबंधितों को भी सूचना देगा।
- (x) तथापि, ऑटोमैटिक सेक्शनों के मामले में सेक्शन कंट्रोलर खराबी के लोकेशन नंबर सहित गति प्रतिबंध के बारे में टीएलसी/पावर कंट्रोलर को लिखित सूचना देगा और जो गाड़ियां पहले से ही सेक्शन में हैं, उनके लोको पायलट को आगे बढ़ने का निर्देश देगा। टीएलसी/ पावर कंट्रोलर लोकेशन के विवरण सहित लगाए गये गति प्रतिबंध के बारे में प्राइवेट नंबर के साथ संबंधित लोको पायलट/सहायक लोको पायलट को सीयूजी/एमटीआरसी फोन पर तुरंत सूचित करेगा।
- (xi) जो गाड़ियां पहले से ही सेक्शन में हैं उनके लोको पायलट टीएलसी/पावर कंट्रोलर से प्राइवेट नंबर सहित लोकेशन नंबर और लगाए गए गति प्रतिबंध का विवरण प्राप्त हो जाने और गार्ड को इस सूचना से अवगत करा देने के बाद ही इंजीनियरिंग पदाधिकारी द्वारा लगाए गए गति प्रतिबंध का पालन करते हुए सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ेंगे।
- (xii) सेक्शन में जर्क अथवा लर्च महसूस करने वाले लोको पायलट इसके वास्तविक स्थान और अन्य विवरणों के बारे में अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को लिखित मेमो देंगे।

दिनांक : 04.05.2020.

Am

रवि वल्लूरी  
(रवि वल्लूरी)